

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020—फाल्गुन 30, शक 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रिता ध.प. श्री अरविन भाई बाना, उम्र 47 वर्ष निवासी-क्वा. नं. 3/ई, सड़क नं.-37, सेक्टर-01, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. मेरा वास्तविक नाम श्रीमती रिता (Rita) है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती रिता (Reta) दर्ज है, जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने वास्तविक नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब मुझे श्रीमती रिता (Smt. Rita) ध.प. श्री अरविन भाई बाना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती रिता (Smt. Reta)
पति-श्री अरविन भाई बाना
(W/o-Shri Arvin Bhai Bana)
निवासी-क्वा नं.-3/ई, सड़क नं.-37, सेक्टर-01,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती रिता (Smt. Rita)
पति-श्री अरविन भाई बाना
(W/o-Shri Arvin Bhai Bana)
निवासी-क्वा नं.-3/ई, सड़क नं.-37, सेक्टर-01,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जय सिंह खुटेल, आत्मज स्व. बंशी लाल खुटेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी-1135, दुर्गा चौक, मरोदा टैंक भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम जालम सिंह खुटेल दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जय सिंह खुटेल रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे जय सिंह खुटेल (Jai Singh Khutel) आ. स्व. बंशी लाल खुटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

जालम सिंह खुटेल (Jalam Singh Khutel)
पिता-स्व. बंशी लाल खुटेल
(S/o-Late Banshi Lal Khutel)
निवासी-1135, दुर्गा चौक, मरोदा टैंक, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

जय सिंह खुटेल (Jai Singh Khutel)
पिता-स्व. बंशी लाल खुटेल
(S/o-Late Banshi Lal Khutel)
निवासी-1135, दुर्गा चौक, मरोदा टैंक, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप कुमार आत्मज श्री साध राम, उम्र 37 वर्ष, निवासी-मकान नं.-45/1, रेल्वे स्टेशन के पास, रेल्वे कॉलोनी, वार्ड क्रमांक-25, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। यह कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम प्रियांशु सोनवानी दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने पुत्र के नाम के साथ उपनाम “सोनवानी” का परित्याग कर नया नाम प्रियांशु रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मेरे पुत्र को प्रियांशु आ. दिलीप कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रियांशु सोनवानी
पिता-श्री दिलीप कुमार
निवासी-मकान नं.-45/1, रेल्वे स्टेशन के पास,
रेल्वे कॉलोनी, वार्ड क्रमांक-25, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

प्रियांशु
पिता-श्री दिलीप कुमार
निवासी-मकान नं.-45/1, रेल्वे स्टेशन के पास,
रेल्वे कॉलोनी, वार्ड क्रमांक-25, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गुरमीत सिंह आत्मज स्व. दीवान सिंह, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-148 बी. 1 एम.ए.टाईप वार्ड-8, टाउन शीप, दल्लीराजहरा, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद (छ.ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र (दल्ली माईन्स) में कार्यरत हूँ मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गुरुमीत सिंह (Gurumeet Singh) दर्ज है जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम गुरमीत सिंह (Gurmeet Singh) है। जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में दर्ज है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, मेरे सर्विस रिकार्ड व समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे गुरमीत सिंह (Gurmeet Singh) आ. स्व. दीवान सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

गुरुमीत सिंह (Gurumeet Singh)
पिता-स्व. दीवान सिंह
निवासी-क्वा. नं.-148बी. 1 एम.ए.टाईप, वार्ड-8,
टाउन शीप, दल्लीराजहरा, तह.-डौण्डी,
जिला-बालोद (छ.ग.)

नया नाम

गुरमीत सिंह (Gurmeet Singh)
पिता-स्व. दीवान सिंह
निवासी-क्वा. नं.-148बी. 1 एम.ए.टाईप, वार्ड-8,
टाउन शीप, दल्लीराजहरा, तह.-डौण्डी,
जिला-बालोद (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तरुण कुमार चन्द्राकर आत्मज श्री कन्हैया लाल चन्द्राकर जाति कुर्मी, निवासी-ग्राम भैंसबोड़, पो.-पौहा, थाना रानीतराई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। यह कि मेरे कक्षा दसवीं एवं सर्विस की सेवा पुस्तिका में मेरा नाम तरुण कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, किन्तु मेरे अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम तरुण कुमार चन्द्राकर दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपने नाम के साथ उपनाम “चन्द्राकर” जोड़कर नया नाम तरुण कुमार चन्द्राकर रख लिया हूँ, तथा मेरे सर्विस रिकार्ड व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरे पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे तरुण कुमार चन्द्राकर आ. श्री कन्हैया लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

तरुण कुमार
पिता-श्री कन्हैया लाल
निवासी-ग्राम-भैंसबोड़, पो.-पौहा, थाना-रानीतराई,
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

तरुण कुमार चन्द्राकर
पिता-श्री कन्हैया लाल
निवासी-ग्राम-भैंसबोड़, पो.-पौहा, थाना-रानीतराई,
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 28 फरवरी 2020

प्रारूप

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30 और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक 487/प्र.2/अ.वि.अ./2019.—यतः कि आवेदक अरूण कुमार सिसोदिया, मुख्य ट्रस्टी “जोहार चेरिटेबल ट्रस्ट, मुख्य कार्यालय 49/बी-1 जी.ई. रोड सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)” द्वारा “जोहार चेरिटेबल ट्रस्ट मुख्य कार्यालय 49/1 जी.ई. रोड सुपेला, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)” के छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु दिया गया है, एतद्वारा सूचनापत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में सुनवाई दि. 30-03-2020 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के बाद किसी भी प्रकार के आपत्ति-दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----------------------|---|---|
| (1) लोक न्यास का नाम | : | “जोहार चेरिटेबल ट्रस्ट मुख्य कार्यालय का पता 49/1 जी.ई. रोड सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.).” |
| (2) चल संपत्ति | : | 10,000=00 अक्षरी दस हजार रुपये नगद |
| (3) अचल संपत्ति | : | निरंक |

खेमलाल वर्मा,
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2019/727. —वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/337 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को.-आप. केन्टीन लिमि. भिलाई पंजीयन क्रमांक 1989 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री के. के. मार्जिवे, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को.-आप. केन्टीन लिमि. भिलाई पंजीयन क्रमांक 1989 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2019/728. —वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/338 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को इन्स्ट्रूमेन्शन डिपार्टमेंट को.-आप. केन्टीन लिमि. भिलाई पंजीयन क्रमांक 1993 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री के. के. मार्जिवे, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को इन्स्ट्रूमेन्शन डिपार्टमेंट को.-आप. केन्टीन लिमि. भिलाई पंजीयन क्रमांक 1993 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2019/729. —वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/335 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को इस्पात भवन सहकारी केन्टीन समिति मर्या. बी.एस.पी. भिलाई पंजीयन क्रमांक 2481 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री के. के. मार्जिवे, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को इस्पात भवन सहकारी केन्टीन समिति मर्या. बी.एस.पी. भिलाई पंजीयन क्रमांक 2481 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/730.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/339 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को जलगृह कर्मचारी जलपान गृह मर्या. मरौदा पंजीयन क्रमांक 2357 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री के. के. मार्जिवे, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को जलगृह कर्मचारी सहकारी जलपान गृह मर्या. मरौदा पंजीयन क्रमांक 2357 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/731.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/333 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को स्टोर वर्कर्स को.-आप. केन्टीन लिमि. आगजीलेयरी एरिया, भिलाई पंजीयन क्रमांक 1987 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री के. के. मार्जिवे, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को सेंट्रल स्टोर वर्कर्स को.-आप. केन्टीन लिमि. आगजीलेयरी एरिया, भिलाई पंजीयन क्रमांक 1987 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/732.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/334 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को सेंट्रल रा मटेरियल ब्लेडिंग एंड स्टोरेज को. आप. केन्टीन मर्या. भिलाई पंजीयन क्रमांक 2314 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री के. के. मार्जिवे, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को सेंट्रल रा मटेरियल ब्लेडिंग एंड स्टोरेज को. आप. केन्टीन मर्या. भिलाई पंजीयन क्रमांक 2314 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/733.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/334 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को जय अम्बे खनिज कामगार सहकारी संस्था मर्या. खपरी (कुम्हारी) पंजीयन क्रमांक 2613 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी

निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री कु. स्वाति कुटारे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को जय अम्बे खनिज कामगार सहकारी संस्था मर्या. खपरी (कुम्हारी) पंजीयन क्रमांक 2613 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/734.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/340 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को महिला श्रमिक रेत खदान सहकारी संस्था मर्या. जमराव पंजीयन क्रमांक 2608 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को महिला श्रमिक रेत खदान सहकारी संस्था मर्या. जमराव पंजीयक क्रमांक 2608 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/735.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/344 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को पत्थर खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजपुर पंजीयन क्रमांक 2602 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री भूपेन्द्र चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को पत्थर खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजपुर पंजीयन क्रमांक 2602 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/736.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/342 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नवसाक्षर महिला अगरबत्ती उद्योग सहकारी समिति मर्या. रामपुर पंजीयन क्रमांक 2556 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता

विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एस. एम. महापात्र, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नवसाक्षर महिला अगरबत्ती उद्योग सहकारी समिति मर्या. रामपुर पंजीयन क्रमांक 2556 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2019/737.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/346 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नवसाक्षर महिला मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या. नेहरू नगर, भिलाई-3 पंजीयन क्रमांक 2551 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती प्रीति सोनी, उप अंकेक्षक, दुर्ग को नवसाक्षर महिला मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या. नेहरू नगर, भिलाई-3 पंजीयन क्रमांक 2551 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2019/738.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/345 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को अन्नपूर्णा संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. मतवारी पंजीयन क्रमांक 28 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री टी. एस. कुंजाम, सहकारी निरीक्षक को अन्नपूर्णा संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. मतवारी पंजीयन क्रमांक 28 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2019/739.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/341 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को एस.सी.एस.टी. लेबर कान्ट्रेक्ट को.आप. सोसायटी लिमि. केम्प 01, भिलाई पंजीयन क्रमांक 2756 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती देवकन्या देशलहरा, सहकारी निरीक्षक को एस.सी.एस.टी. लेबर कान्ट्रेक्ट को.आप. सोसायटी लिमि. केम्प 01, भिलाई पंजीयन क्रमांक 2756 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/740.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/362 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, दुर्ग को संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. भरदा पंजीयन क्रमांक 21 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से बालोद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक के स्थान पर कु. स्वाति कुटारे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. भरदा पंजीयन क्रमांक 21 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/741.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/363 दुर्ग, दिनांक 18-03-2018 के द्वारा श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, दुर्ग को अन्नपूर्णा कृषक सेवा फल फूल सब्जी उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. मतवारी पंजीयन क्रमांक 142 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से बालोद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्री अजय प्रधान, अंकेक्षण अधिकारी, दुर्ग को अन्नपूर्णा कृषक सेवा फल फूल सब्जी उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. मतवारी पंजीयन क्रमांक 142 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/742.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/366 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, दुर्ग को कौशल कामगार खनिज सहकारी समिति मर्या. कुम्हारी पंजीयन क्रमांक 2579 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से बालोद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्रीमती पुष्पा जैन, उप अंकेक्षक, दुर्ग को कौशल कामगार खनिज सहकारी समिति मर्या. कुम्हारी पंजीयन क्रमांक 2579 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/743.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/131 दुर्ग, दिनांक 18-01-2017 के द्वारा श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, दुर्ग को औद्योगिक तकनीकी शिक्षण सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पंजीयन क्रमांक 2545 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से बालोद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को औद्योगिक तकनीकी शिक्षण सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पंजीयन क्रमांक 2545 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/744.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/507 दुर्ग, दिनांक 07-05-2018 के द्वारा श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, दुर्ग को गोपी ग्वाल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. वार्ड क्र. 12, बाम्बे आवास जवाहर नगर सुपेला, भिलाई पंजीयन क्रमांक 2943 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से बालोद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को गोपी ग्वाल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. वार्ड क्र. 12, बाम्बे आवास जवाहर नगर सुपेला, भिलाई पंजीयन क्रमांक 2943 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2019/745.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपं.परिसमापन/2018/506 दुर्ग, दिनांक 07-05-2018 के द्वारा श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, दुर्ग को सुन्दरा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. वार्ड क्र. 01 माडल टाउन, जुनवानी, भिलाई पंजीयन क्रमांक 2867 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक, की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से बालोद जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियां जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती संगीता डहरवाल, उप अंकेक्षक के स्थान पर श्रीमती पुष्पा जैन, उप अंकेक्षक दुर्ग को सुन्दरा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. वार्ड क्र. 01 माडल टाउन, जुनवानी, भिलाई पंजीयन क्रमांक 2867 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.